

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012022-232795
CG-DL-E-20012022-232795

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]
No. 279]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 20, 2022/पौष 30, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 2022/PAUSHA 30, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2022

का.आ. 285(अ).—भारत सरकार के पूर्ववर्ती पर्यावरण और वन मंत्रालय के का.आ. संख्या 966(अ), दिनांक 27 नवंबर, 1989 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में, प्रकाशित अधिसूचना में अनुसूची-III में, पृष्ठ-13 पर क्र. सं. 112 में "फॉर्मललडिहाइड (सांद्रता \leq 90%)" को "फॉर्मललडिहाइड (सांद्रता \geq 90%)" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

[फा. सं. 16-4-383-2010-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th January, 2022

S.O. 285(E).—In the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 966(E), dated the 27th November, 1989, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), in Page 36, in Schedule III, against S. No. 112 for "Formaldehyde (concentration \leq 90%)" substitute "Formaldehyde (concentration \geq 90%)".

[F. No.16-4-383-2010-HSMD]

NAKRESH PAL GANGWAR, Add. Secy.